भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकितप्रश्न संख्या 5029
दिनांक 01.04.2025 कोउत्तरार्थ

ग्राम सभा का महत्व

+5029. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा का क्या महत्व है.

(ख) ग्राम सभा में किन-किन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्राम सभा में नियमित रूप से अनुपस्थित रहने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के साथ-साथ उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है.

(घ) क्या दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में सरकार की सभी योजनाएं लागू हैं और यदि नहीं, तो कौन-कौन मी योजनाएं लागू नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और नगर परिषदों के लिए वार्षिक बजट का आवंटन नहीं किए जाने की स्थिति में किस प्राधिकारी से संपर्क किया जाएगा?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(प्रो. एस. पी . सिंह बघेल)

(क) से (ग) "पंचायत, "स्थानीय सरकार होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवी अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायतें संविधान के प्रावधानों के अधीन, संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित और संचालित होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क) के प्रावधानों के संदर्भ में, एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसा राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। इसलिए, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना और ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जागरूकता पैदा करना आदि संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पंचायती राज मंत्रालय ऐसे किसी भी अधिकारी का रिकॉर्ड नहीं रखता है जिसकी ग्राम सभा में उपस्थिति अनिवार्य है, जो ग्राम सभा में नियमित रूप से अनुपस्थित रहते है और न ही प्राधिकृत अधिकारी जो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है।

(घ) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से केंद्र प्रायोजित योजना, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए RGSA), को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर रहा है।

मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथगांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA) की केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की है जो गांवों में घर रखने वाले ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करती है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने के अलावा, पंचायतों को संपत्ति कर का आकलन और संग्रह करने में राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के अपने प्रयास में सक्षम बनाती है। अब तक, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित 31 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, इस योजना से जुड़ चुके हैं।

(ड़) पंचायत, जो 'स्थानीय सरकार' है, संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है और यह एक राज्य विषय है। इसलिए पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत होता है, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन होते हैं। इस कारण, वार्षिक बजट की आवंटन में विफलता के मामले में संपर्क किऐ जाने वाले अधिकारियों से संबंधित विवरण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार से 15वीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त होने पर, राज्य सरकारों को इसे संबंधित पंचायतों/पारंपरिक निकायों को 10 कार्यदिवसों के भीतर स्थानांतरित करना आवश्यक है। यदि 10 कार्यदिवसों से अधिक देरी होती है, तो राज्य सरकार को अनुदान को उस देरी की अवधि के लिए मूल राशि ब्याज सहित जारी करना होता है, जो पिछले वर्ष के बाजार उधारी/राज्य विकास ऋणों पर औसत प्रभावी ब्याज दर के अनुसार होता है।

***